

गैरुल्लाह के लिये जानपर खजह करना

तशरीह

शैख सालिह बिन अब्दुल अझीज बिन मुहम्मद
बिन अब्राहीम आलि शैख

लिपियांतर :

अशरफअली उष्मान भत्री

नअरेषानी :

मौलाना अब्राहीम नूरी हकीमुल्लाह

गैरुल्लाह के लिये

जानपर झबह करना

गैरुल्लाह (अल्लाह के सिवा किसी) के लिये (जानपर) झबह करने की शर्त पद्य (सप्त पुराद्य आद्य) है और वह ये के ये अल्लाह अज़्ज़पज़ल के साथ शिर्क है. झबह से मुराद्य पून बहाना है.

झबह में दौ चीज़ें अहम होती हैं :

- (१) किसी का नाम लेकर झबह करना.
- (२) किसी का कुर्ब हासिल करने के लिये झबह करना.

पेहली सूरत में असल चीज़ नाम है और दूसरी सूरत में इस्ते प धराद्यह.

इस्ते असल जानपर झबह करते पद्य जिस का नाम लिया जाये उस से इस्तिआनत और मद्य मइसूद्य होती (धराद्यह होता) है. मफलन् अगर आप “बिस्मिल्लाह” कहेंगे तो इस का मतलब ये होगा के में अल्लाह के नाम से मद्य हासिल करते हूये और उसे

मुतबर्कि (बरकतपाला) समजते हूअे झबह करता हूं. रही बात कस्ट व धरादह की तो ये उबूदीय्यत (धभादत) और बंदगी के धरुहार की अेक सूरत है. नाम और कस्ट व धरादह के लिहाज (जयाल) से हमारे सामने चार सूरतें आती हैं :

(१) अल्लाह का नाम लेकर उसी के तर्कुब (नरुदीकी) के कस्ट से झबह करना. ये सरासर तौहीद और धभादत है. धस सूरत में झबह करने के लिअे दो शर्ते हैं. पहली तो ये के अल्लाह के तर्कुब के धरादे से झबह करे, दूसरी ये के अल्लाह का नाम लेकर झबह करे. जैसे कुर्बानी, हदी (हजूज की कुर्बानी), और अकीकह पगेरह. अगर जानबूज कर अल्लाह का नाम न लिया तो झबीहा हलाल न होगा. ये दोनों शर्ते बैकपस्त तब हैं जब झबह से अल्लाह का तर्कुब मक्सूद हो. और अगर अल्लाह के तर्कुब के लिअे नहीं बलके मेहमानों की मेहमान नपाळी के लिअे या अपने जाने के लिअे झबह करे तो ये जाधज है, शरअन

(शरीरत में) इस की धजात है क्युंके उसने अल्लाह का नाम लेकर ऋह किया है, गेरुल्लाह का नाम नहीं लिया. ये पधट में दाजिल न होगा न मुमानत (मनाही) में.

(२) ऋह तो अल्लाह का नाम लेकर किया जाये लेकीन मस्सूह उस से गेरुल्लाह का तर्कुं हो. मषलन् ऋह के पस्त ये कहे “बिस्मिल्लाह-में अल्लाह का नाम लेकर ऋह करता हूं” और इस ऋह से उसकी नीयत किसी मदकून (दकून शुदह) नबी या किसी बुर्कुंग का तर्कुं हो.

जअ्ज देहाती (गांव के) या शेहरी लोगों का ये तरीकह है के पह किसी की आमद (आने) पर उसकी तअ्जीम (ध्जत) के लिअे, जेबाधश प पुशनुमाध (सजापट) या जानपरों को ऋह कर के उसका धस्तिकबाल करते हैं. इस ऋह में अगरयेह अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकीन क्युंके उस से मस्सूह गेरुल्लाह को राळी करना होता है इस लिअे उलमाने

धस इस्ल (काम) के हराम होने का इतपा दिया है, क्युंके धस में गेरुल्लाह के लिअे पून जहाया जाता है धस लिअे उसे जाना भी जाईल नहीं है. जब धस सूरत में किसी की तअ्ज़ीम के लिअे झजह करना और पून जहाना जाईल नहीं तो इर किसी इौत शुदह (नबी या बुखुर्ग) की तअ्ज़ीम (या तर्कुब) के लिअे झजह करना और पून जहाना तो और भी क्रियादह नाजाईल और हराम हुवा क्युंके पून जहा कर सिई अल्लाहतआला ही की तअ्ज़ीम करना जाईल है. जब रगों में पून उसीने (अल्लाहने) जारी किया है तो इर तअ्ज़ीम व धबादत का हक्कदार भी वही है.

(3) झजह गेरुल्लाह का नाम लेकर किया जाअे और उस से मइसूद भी गेरुल्लाह का तर्कुब ही हो. मषलन् “बिस्मिल् मसीही” केह कर झजह करे और तर्कुब भी मसीह (हजरत धसा अलेहिस्सलाम) ही का मइसूद हो. ये बहुत बडा शिर्क है. शिर्क इीलधस्तिआनत (मदद मांगने में) भी और शिर्क

ईर्ष्याबाट (बंदगी में) भी. इसी तरह शैब बटपी, हजरत हुसैन (रटियल्लाहुअन्हु), सैय्यिदह जैनब (रटियल्लाहुअन्हा) या इन के इलावह वह शप्सीयात जिन से लोग इबादत और पूजावाला मुआमलह रजते हैं उनके नाम लेकर ऋजह करने का भी यही हुक्म है क्युंके उनके नाम लेकर ऋजह करते पश्त लोगों की नीयत और इरादह उनका तर्कुब होता है. इस लिअे ये दो तरह से शिर्क बन जाता है. अेक तो इस्तिआनत और मदह के हुसूल (तलब करने) की पऋह से और दूसरा उबूदीयत (इबादत), तअ्जीम और गेरुल्लाह के लिअे पून बहाने की पऋह से.

(४) ऋजह गेरुल्लाह का नाम लेकर किया जाअे और उस से मइसूद 'अल्लाह का तर्कुब' हो और ये बहुत कलील और नादिर (कम होता) है. और कभी अैसा भी होता है के ऋजह तो किसी बुर्जुग के लिअे किया जाता है मगर नीयत ये होती है के उस से अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाअे तो ये भी

दरहकीकत शिर्क झीलुधस्तिआनत और शिर्क
 झीलुधबादत ही में शामिल है. अलुगर्ज (मतलब ये के)
 गेरुल्लाह के तर्कुरुब के लिअे ऋबह करना उबूदीय्यत में
 शिर्क है और गेरुल्लाह का नाम लेकर ऋबह करना
 धस्तिआनत और मदद के लिअे तलब में शिर्क है.
 इसी लिअे अल्लाह अऋऋपजलने इरमाया है : “और
 जिन जानपरों (के ऋबह) पर अल्लाह का नाम न
 लिया जाअे, उन में से कुछ न जाओ, और बिलाशुबह
 ये इस्क (गुनाह) और नाजाधऋ है और बेशक
 शयातीन अपने दोस्तों की तरफ़ धल्का (दील में बात
 डाला) करते हैं ताके पह तुम्हारे साथ ऋधडें और अगर
 तुमने उनकी बात मान ली तो बिलाशुबह तुम भी
 मुशिरक हो जाओगे.” (सूरह अन्आम आयत : १२१)

अल्लाहतआला का धर्शाद है : “केह दीजिअे !
 बेशक मेरी नमाऋ, मेरी कुर्बानी, मेरी खिंदगी और मेरी
 मौत अल्लाह रब्बुल् आलमीन के लिअे है. उसका कोध
 शरीक नहीं और मुजे इसी बात का हुक्म दिया गया है

और मैं उसका सबसे पहला इर्माजदार हूँ।”

(सूरह अन्आम आयत : १५२, १५३)

एन आयतों से षाबित हुआ के नमाज़ और कुर्बानी दोनों एबादतें हैं क्युंके कुर्बानी को अल्लाह के साथ जास किया गया है और मज्लूक के अम्माल में से सिई एबादात ही अल्लाह के साथ जास होती हैं। एसी लिअे “सलाती” के जअद “व नुसुकी” इरमाया के कुर्बानी (पून जहाना और ञजह करना) भी दीगर एबादतों की तरह अेक एबादत है और उसका मुस्तहिक भी सिई अल्लाहतआला ही है। “लिल्लाहि रब्बिल् आलमीन” में लइः “अल्लाह” पर मौजूद लाम एस्तिहकाक (हक्कदार) का मअनी दे रहा है यअनी नमाज़, कुर्बानी और दीगर एबादत का हक्क अल्लाह रब्बुल् आलमीन ही रजता है।

“ला शरीकलहू” नमाज़ में उसका कोए शरीक है न कुर्बानी में। लिहाज़ा एनकी अदाएगी में न तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाअे और न ही अल्लाह

के एलापह किसी को उन का सजावार हेहराया जाये।
एबादत का मुस्तहिक वही रब है, जो अलीम
बादशाहत का मालिक है।

और अल्लाहतआलाने इरमाया : “पस तुम
अपने रब ही के लिये नमाज पडो और कुर्बानी दो।”

(सूरह कोषर आयत : २)

(एस आयत में) अल्लाहतआलाने जिन कामों का
हुक्म दिया है वह एबादत ही हैं। क्युंके तमाम ञाहिरी
ओर बातिनी (अंदरूनी) अअ्माल व अक्वाल जो
अल्लाहतआला को पसंद और मह्बूब हैं उन सब को
एबादत ही कहा जाता है। एसी तरह नमाज और
कुर्बानी का भी अल्लाहतआलाने हुक्म दिया है और ये
अअ्माल उसे मह्बूब और पसंद हैं। एस लिये ये भी
एबादत हैं।

और इरमाने नबवी है : हजरत अली
रदियल्लाहु अन्हु इरमाते हैं के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु
अलैहि व सल्लमने मुजे चार बातें एर्शाह इरमाएं : “

- (१) जो शप्स गेरुल्लाह के लिये जानपर झबह करे उस पर अल्लाहतआला की लअूनत है.
- (२) जो शप्स अपने वालिदैन पर लअूनत करे उस पर भी अल्लाहतआला की लअूनत है.
- (३) जो शप्स किसी भिदअती को पनाह दे उस पर भी अल्लाहतआला की लअूनत है.
- (४) और जो शप्स हुदूदे झमीन के निशानात को बदले उस पर भी अल्लाहतआला की लअूनत है.” (सहीह मुस्लिम जाब : कुर्बानी, नसाध)

धस हदीष से पाभित हुवा के जो शप्स गेरुल्लाह के तर्कुब और तअ्ठीम के लिये जानपर झबह करे उस पर अल्लाहतआला की लअूनत है. अल्लाहतआला की लअूनत से मुराद उसकी रहमत से दूरी और मह्ज़मी है. पस जिस शप्स पर भुद अल्लाहतआला लअूनत करे वह उसे अपनी जास रहमत से दूर और मह्ज़म कर देता है.

जबके उसकी आम रहमत मुसलमानों, काफ़िरो

और तमाम मज्लूक़ात के शामिले हाल (सब के लिये) है. याद रहे के जिस गुनाह पर अल्लाहतआला की लअ्नत की वधद हो वह कबीरह गुनाह होता है क्युंके गेरुल्लाह के तर्कुब और तअ्ज़ीम की जातिर झबह करना शिर्क है इस लिये इसका धर्तिकाब करनेवाला अल्लाहतआला की लअ्नत, झिटकार और उसकी रहमत से दूरी और मह्ज़मी का मुस्तहिक ठेहरता है.

नीळ धशदि नबवी है : हज़रत तारिक भिन शिहाब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने इरमाया : “अेक शअ्स अेक मज्जी की वजह से जन्नत में गया और अेक शअ्स अेक मज्जी ही की वजह से जहन्नम में जा पहुंचा. सहाबहअे किराम रदियल्लाहु अन्हुमने अर्ज़ किया : या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ! वह कैसे ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने इरमाया : “दो आदमीयों का अेक कोम पर गुज़र हुवा. जिसका अेक जुत था वह किसी को वहां से चडावा

यडाअे बगैर गुळरने की धंजळत न देते थे. उन लोगोंने धन में से अेक से कहा : यडावा यडाओ. उसने कहा : मेरे पास यडावे के लिअे कुछ नहीं है. उंन्होंने कहा : तुम्हें ये काम ञरू करना होगा. याहे अेक मज्जी ही यडाओ. उसने अेक मज्जी का यडावा यडा दिया. उन लोगोंने उसका रास्तह छोड दिया और उसे आगे जाने की धंजळत देदी. वह उस मज्जी के सजज जहन्नम में जा पहुंचा. उंन्होंने दूसरे से कहा : तुम भी कोध यडावा यडाओ तो उसने कहा : मैं तो अल्लाहतआला के सिवा किसी के वास्ते कोध यडावा नहीं यडा सकता. उंन्होंने उसे कत्ल कर दिया. और वह सीधा जन्नत में जा पहुंचा.”

(धंमाम अहमद : किताबुल् जुहद)

धस हदीष से षाधित हुवा के बुत के तर्कुब के लिअे जानपर ञजह करना उस शप्स के लिअे दुजूले जहन्नम का सजज बना. ञाहिर है के ये काम करनेवाला आदमी मुसलमान था जो अपने धस

शिर्कीयह झिअल की पजह से जहन्नम रसीद हुवा. इस से मअलूम हुवा के गेरुल्लाह के तर्कुब और तअज़ीम के लिअे जानपर झबह करना और यडावे यडाना “शिर्के अङ्गर-सब से बडा शिर्क” है. नीऊ इस हदीथ से ये भी पाबित हुवा के गेरुल्लाह के तर्कुब के लिअे मज्जी जैसी बेकदर व कीमत चीज़ का यडावा यडाना जब उस आदमी के लिअे जहन्नम में दाखिल होने का सबब बना तो जो चीज़ इाईदह में इस से बडी और कीमती हो उसका यडावा यडाना उसी कदर दुभूले जहन्नम (में जाने) का बडा सबब होगा.

“करिब” यडावा यडाओ. इस से मअलूम हुवा के उस कोम के लोगोंने उन राहगीरों को इस अमल के लिअे (मेहळ कहा था) मज्बूर नहीं किया था. क्युंके इस से पेहले ये बयान है के वह किसी को यहां से यडावा यडाओे बगैर गुज़रने की इजाज़त न देते थे. इस में कोइ जबर या इक़््राह (ज़बरदस्ती या नइरत) नहीं. क्युंके अगर वह आदमी चाहता तो पापस आकर

किसी दूसरे रास्ते से चला जाता और अगर कहा जाये के उन लोगों ने चडावा न चडाने की सूरत में कल की घमकी दी थी इस लिये वह इस अमल पर मजबूर था जबके १७२ व ईस्राह की सूरत में किसी अमल पर कोय मुवाज्जह (पकड) नहीं. इस का जवाब ये है के ये पाकिअह हम से पेहली उम्मतों का है. ईस्राह और ईज्बार (१७२) की सूरत में ईत्मीनाने कल के साथ बजाहिर कलिमह अे कुइर अटा करने या कुइरीयह काम करने की ईजाजत और उस के अदम मुवाज्जह का मस्अलह सिई इसी उम्मत की जुसूसीयत है. अगली उम्मतों में इसकी ईजाजत न थी.

ईन आयात और हदीषों से कुछ मसाईल ये हैं :

- (१) आयत “केह टो मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी...” की तइसीर मअ्लूम होती है.
- (२) आयत “पस तुम अपने रज ही के लिये नमाज...” की तइसीर भी मअ्लूम होती है.
- (३) हदीष में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व

सल्लमने सभसे पेह्ले गेरुल्लाह के लिअे ञ्जह करनेवाले पर लअूनत इरमाई है.

(४) हदीष में है के “अपने वालिदैन पर लअूनत करनेवाला लअूनती है.” इस से ये माजूऊ होता है के अगर तुम किसी के वालिदैन पर लअूनत करोगे तो वह तुम्हारे वालिदैन पर लअूनत करेगा. इस तरह तुम जुद अपने वालिदैन पर लअूनत का सबब बनोगे.

(५) हदीष में है के “जे शप्स किसी बिदअती को पनाह दे, वह मलूिन (लअूनती) है.” इस हदीष में बिदअती से मुराद ऐसा शप्स है जिस पर बिदअत के इर्तिकाब (अमल करने) की वजह से अल्लाहतआला की तरफ से सजा पाबिब हो और वह उस से बचने के लिअे किसी की पनाह दूँढ रहा हो.

(६) “जे शप्स हुदूँदे ञ्जमीन के निशानात व अलामात को आगे-पीछे कर के बदल डाले, वह

ली लख्णती है।” इस से ऐसे निशानात मुराद हैं जो ऋमीन के दो मालिकों की हुदूटे भिन्कीयत को मुतअैय्यन (अलग) करते हैं और उन निशानात को बदलने से पडोसीयों का हक्क मारना मइसूद हो।

- (७) किसी मुतअैय्यन (जास) शप्स पर और उमूमी तौर पर गुनाहगार लोगों पर किसी का नाम लिखे बगैर लख्णत करने में इर्क है।
- (८) अेक मष्जी का चडावा चडाने के सबब अेक आदमी के जहन्नम में जाने का वाकिअह बडा एबरतनाक (नसीहतपाला) है।
- (९) मष्जी का चडावा चडानेपाला जहन्नम रसीद हुवा हालांके उसका मइसूद शिर्क करना कतअन् (बिल्कुल) न था बल्के उसने मेहळ अपनी जान बचाने की जातिर अैसा किया था।
- (१०) अहले एमान की नऊर में शिर्क इस कदर संगीन (सप्त भारी) जुर्म है के उस मोमिनने कत्ल

होना गवारा कर लिया, लेकिन अहले सनम् (जुत परस्तों) का मुतालबह (मांग को) पूरा न किया, हालांकि उन्होंने उस से सिर्फ़ ऋहिरी तौर पर अमल करने का मुतालबह किया था.

(११) शिर्क का धर्तिकाब कर के जहन्नम में जानेवाला शप्स मुसलमान था. अगर वह काफ़िर होता तो आप यूँ न इरमाते के “वह अेक मष्जी की वजह से जहन्नम में गया.”

(१२) धस हदीष से अेक दूसरी सहीह हदीष की ताधद ली (तरइदारी) होती है, जिस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लमने इरमाया : “जन्नत और जहन्नम तुम में से हर अेक के जूते के तस्मे से ली क्रियादह करीब है.”

(सहीह जुभारी बाब : अर्रिकाक, ह : ५४८८)

(१३) जुतपरस्तों समैत (के साथ) हर अेक के नज़्दीक कल्बी (दिल का) अमल सबसे क्रियादह अहम और मइसूदे अअ्ज़म (बडा मइसद) होता है.